न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, जालोर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – अमर वर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक(जमानत) प्रकरण सं. 26 सन् 2026 (सी.आई.एस.नं. 95/26)
(प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या–35/2026 पुलिस थाना, सायला)

1– महेन्द्र पुत्र हबताराम, उम्र 33 वर्ष,
2– घेवाराम पुत्र भवाराम, उम्र 36 वर्ष,
3– वागाराम पुत्र रूगनाथाराम, उम्र 58 वर्ष,
निवासीगण वालेरा, पुलिस थाना सायला, जिला जालोर

–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक।

–विपक्षी/अभियोगी।

जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
अपराध अन्तर्गत धारा 189(2),126(2), 115(2),117(2), 110 बी.एन.एस.

उपस्थितः–
1. श्री गोकुलराम परिहार, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण
2. श्री दिलीप शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक

––आदेश––

दिनांक 28.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. वास्ते जमानत प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. पूर्व में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रे ट, जालोर द्वारा दिनांक 18.03.2026 को निरस्त किया गया है।

2. बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से बहस में यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है, उनसे कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है, परिवादी पक्ष के विरूद्ध क्रोस प्रकरण दर्ज है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 17.03.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

4. सुना गया। उभय पक्षों के विरोधाभासी तर्कों पर मनन किया गया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान से उभरकर आये तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 117(2), 110 बी.एन.एस. के तहत अपराध कारित करने का अभियोग है, जिसके तहत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी अशोक कुमार के भाई भंवरलाल को रोककर उसके साथ स्वेच्छया कुंदआलाए लाठीयों से मारपीट कर उसे साधारण व गंभीर उपहति कारित कर उसका आपराधिक मानववध का प्रयास किया। मजरूब भंवरलाल के चोट

प्रतिवेदन में उसके शरीर पर कुल 7 चोटें बतायी है उसमें से 05 चोटें अस्थिभंग होकर गंभीर प्रकृति की है। प्रार्थी/अभियुक्त वागाराम के विरूद्व एक आपराधिक प्रकरण संख्या 169/2001 धारा 447, 323, 149, 143 भा.दं.सं. में पुलिस थाना सायला में दर्ज होकर इसमें दिनांक 26.09.2006 को सजा होना बताया है। प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है। अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टीका टिप्पणी किये बिना अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अमर वर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जालोर

6. आदेश आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमर वर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जालोर